

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग-3), शासन सचिवालय, जयपुर



क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/पार्ट-1/127164/2014

जयपुर, दिनांक 21 FEB 2018

जिला कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान
समस्त।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत रख-रखाव के कार्यों के संबन्ध में।


संदर्भ:- विभागीय पत्रांक एफ40(77)ग्रावि/नरेगा/con.pwd/58433/2014 दिनांक
13.06.2017

महोदय/महोदया,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को प्रेषित पत्र दिनांक 29.01.2018 में यह स्पष्ट किया है कि अधिनियम में वर्णित कार्य ही योजनान्तर्गत कराये जावे।

संदर्भित पत्र द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व पत्रों के अतिक्रमण में यह स्पष्ट किया जाता है कि योजनान्तर्गत रख-रखाव के कार्य केवल योजनान्तर्गत निर्मित सार्वजनिक परिसम्पतियों के लिए ही किये जावे। अन्य योजनाओं में निर्मित सार्वजनिक परिसम्पतियों के रख-रखाव के कार्य योजनान्तर्गत नहीं कराये जावे।


भवदीय


(राजेन्द्र सिंह कैन)

परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रा.वि एवं पं.राज. विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रा.वि एवं पं.राज. विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि एवं पं.राज. विभाग।
5. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस।
7. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
8. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा समस्त।


परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस